झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2006

[सभा द्वारा यथापारित]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2006

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ
2. धारा 2 के खण्ड (xxix) (अर्थात इनपुट कर की परिभाषा) में संशोधन।
3. धारा 2 के खण्ड (xlviii) में परिभाषित 'विक्रय मूल्य' में स्पष्टीकरण IV का अन्तःस्थापन।
4. धारा 8 की उपधारा (5) में खण्ड (ड.) के रूप में एक नए प्रावधान का अन्तःस्थापन तथा धारा 8 की उपधारा (6) के खंड (ख) में शब्द 'और' की जगह शब्द 'या' का प्रतिस्थापन।
5. धारा 9 की उपधारा (1) के परन्तुक का विलोपन तथा विद्यमान उपधारा (1) के बाद एक नई उपधारा (2) का अन्तःस्थापन।
6. धारा 18 में संशोधन।
7. धारा 22 में संशोधन एवं प्रतिस्थापन।
8. धारा 23 में संशोधन एवं प्रतिस्थापन।
9. धारा 58 में संशोधन।
10. धारा 69 में संशोधन।
11. निरसन एवं व्यावृत्ति ।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक 2006

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य के अर्न्तगत मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम,' 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) को झारखंड राज्य के अंतर्गत उसके अनुप्रयोग एवं प्रवर्त्तन के संदर्भ में संशोधन के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के 57वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ –

(i) यह अध्यादेश झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जा सकेगा।

(ii) यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा ।

(iii) यह दिनांक 01.04.2006 के प्रभाव से प्रवृत समझा जाएगा।

2. धारा 2 के खण्ड *(xxix)* (अर्थात् इनपुट कर की परिभाषा) में संशोधन। –

इस धारा के द्वितीय परन्तुक के बाद एक नया परन्तुक निम्नवत जोड़ा जाएगा :–

" परन्तु यह और कि पुनर्विकेताओं के मामले में ड्रग्स (प्राइस कन्ट्रोल) आर्डर 1995 में विनिर्दिष्ट दवाओं अथवा ड्रग्स की पुनर्बिक्री के समय अधिकतम खुदरा मूल्य पर भारित किया गया कर, इनपुट कर के रूप में नहीं माना जाएगा। "

3. धारा 2 के खण्ड (xlviii) में परिभाषित "विकय मूल्य" में स्पष्टीकरण IV का अन्तः स्थापन । –

इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (xlviii) के विद्यमान स्पष्टीकरण (III) के बाद एक नया स्पष्टीकरण IV, निम्नवत् जोड़ा जाएगा :–

स्पष्टीकरण IV – इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, किसी अन्य व्यवसायी को ड्रग्स (प्राइस कन्ट्रोल) ऑर्डर 1995 में विनिर्दिष्ट मालों की बिक्री करने वाले व्यवसायी के लिए, अभिव्यक्त "विक्रय मूल्य" से अभिप्रेत, इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (xxxiii) में यथा निर्दिष्ट अधिकतम खुदरा मूल्य है।

4. धारा 8 की उपधारा (5) में खण्ड (ड.) के रूप में एक नए प्रावधान का अन्तःस्थापन, तथा धारा 8 की उपधारा (6) के खण्ड (ख) में शब्द "और" की जगह शब्द "या" का प्रतिस्थापन । –

(ड.) – (क), (ख), और (ग) से अलग किसी अन्य बिक्री या खरीद अथवा बिक्रियों या खरीदों की श्रेणी में लगे हुए हैं, के लिए विहित सीमा, समय समय पर यथा विनिर्दिष्ट होगी।

धारा 8 की उपधारा (6) के खण्ड (ख) में प्रयुक्त शब्द "और" की जगह शब्द "या" का प्रतिस्थापन, जो निम्नवत् पढ़ा जाएगा :–

"(ख) आवर्त में किसी व्यवसायी द्वारा अपनी ओर से और साथ ही अपने मालिक की ओर से, किए गए सभी विक्रय या क्रय, चाहे प्रकट किए गए हों अथवा नहीं, सम्मिलित होंगे। "

5. धारा 9 की उप धारा (1) के परन्तुक का विलोपन तथा विद्यमान उपधारा (1) के बाद एक नई उप धारा (2) का अन्तः स्थापन। –

(क) धारा 9 की उप धारा (1) का परन्तुक विलोपित किया जाएगा।

(ख) धारा 9 की उपधारा (1) के बाद एक नई उप धारा (2) निम्नवत अन्तः स्थापित की जाएगी :–

" (2) इस धारा में कुछ अन्तर्विष्ट होते हुए भी कोई निबंधित व्यवसायी, जो (बल्क ड्रग्स एण्ड नन ड्रग्स (प्राइस कन्ट्रोल) ऑर्डर 1995 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दवाओं यथा आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी या होमियोपैथिक दवाओं को छोड़कर) अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची II के खण्ड "ख" के क्रम संख्या 85 में यथा विनिर्दिष्ट दवाओं एवं औषधियों का आयात अथवा विनिर्माण करता है, अपने द्वारा दिये गए विकल्प के आधार पर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भुगतेय कर के स्थान पर ऐसी वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर पूर्ण दर से कर का भुगतान कर सकता है।

परन्तु यदि व्यवसायी के द्वारा ऐसी वस्तुओं का क्रय –

(क) किसी आयातक अथवा विनिर्माता से ऐसी वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर का भुगतान करके किया गया है; अथवा

(ख) किसी अन्य निबंधित व्यवसायी से किया गया हो, जिसमें झारखण्ड राज्य में पूर्ववर्त्ती चरण पर ऐसी वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर का भुगतान कर दिया था,

क्रेता व्यवसायी, ऐसे मालों की झारखण्ड राज्य में पुनर्बिक्री के समय, अधिनियम में अन्यत्र कुछ भी अंतर्विष्ट होते हुए भी ऐसी शर्त्तों एवं बंधेजो के अधीन तथा ऐसी रीति से जो इस हेतु विहित या अधिसूचित हो, अपने द्वारा ऐसे मालों के क्रय के समय भुगतान किए गए कर की राशि को क्रेता से वसूल करने का हकदार होगा।

परन्तु यह और कि ऐसी वस्तुओं की पुनर्बिक्री करने वाला व्यवसायी ऐसी वस्तुओं पर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतेय कोई भी कर भारित नहीं करेगा। "

परन्तु यह और कि यदि व्यवसायी अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर का भुगतान का विकल्प चुनता है तो अनुवर्त्ती क्रेता व्यवसायियों को इनपुट कर क्रेडिट अनुमान्य नहीं होगा ।

(ग) विद्यमान उप धारा (2) तथा (3) अब उपधारा (3) तथा (4) के रूप में पुनः क्रमांकित होंगे।

6. धारा 18 में संशोधन । –

धारा 18 की उपधारा (4) के खण्ड (iii) में शब्द "कच्चे माल", के बाद विराम चिन्ह, अल्पविराम एवं शब्द "या" की जगह शब्द "और" प्रतिस्थापित होगा ।

7. धारा 22 में निम्नवत् संशोधन एवं प्रतिस्थापन । –

इस धारा के शीर्षक में प्रयुक्त शब्द "रिटेलर्स" की जगह शब्द "डीलर्स" प्रतिस्थापित होगा ।

द्वितीयक परन्तुक के बाद तीसरा परन्तुक निम्नवत् जोड़ा जाएगा : –

" परन्तु यह और कि यदि सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है तो, किसी ऐसे निबंधित व्यवसायी को जो एक विनिर्माता भी हो,

कतिपय शर्त्तों एवं बंधेजों के साथ अधिसूचना के द्वारा एक निश्चित अवधि हेतु अनुमानित कर *का भुगतान करने की अनुमति दे सकेगी ।"*

8. धारा 23 में निम्नवत् संशोधन एवं प्रतिस्थापन । –

"सरकार, अधिसूचना के द्वारा, इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची के किसी भी वस्तु में कुछ जोड या विलोपन या संशोधन/परिवर्त्तन कर सकती है ।"

9. धारा 58 में संशोधन । –

इस धारा की उप धारा (3) में अंक '29' तथा विरामचिन्ह "अल्पविराम" विलोपित किया जाएगा ।

10. धारा 69 में संशोधन । –

(i) धारा 69 की उपधारा (2) का खण्ड (i) विलोपित किया जाएगा ।

(ii) धारा 69 की उपधारा (2) के विद्यमान खण्ड (i) तथा खण्ड (iii) धारा 69 की उपधारा (2) के खण्ड (i) तथा खण्ड (ii) के रूप में पुनः क्रमांकित होंगे ।

11. निरसन एवं व्यावृति । – (1) झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (झारखण्ड अध्यादेश सं0– 1, 2006) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी ।

यह विधेयक झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2006 दिनांक 22 अगस्त, 2006 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 22 अगस्त, 2006 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(इन्दर सिंह नामधारी)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०)28--50--22-8-2006 ।